आवश्यक

पत्रांक – 1प्रा0आ0–06/2010/....................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना–15, दिनांक–

विषयः आँधी, चकवाती तूफान, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं के प्रबंधन हेतु पूर्व तैयारियों एवं राहत एवं बचाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 14.10.2013 को उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के तटों पर चक्रवाती तूफान आने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे झारखंड तथा बिहार के दक्षिणी हिस्सों के प्रभावित होने की संभावना है, जिसके कारण तेज हवा के साथ वर्षा होने की संभावना है।

2. इस पृष्ठभूमि में यह उचित होगा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वेवसाईट पर इस संबंध में अंकित चेतावनी का अनुसरण करते हुए यदि आप के जिले में चक्रवाती तूफान आने की संभावना बतायी जाए तो इससे निपटने हेतु निम्नानुसार तैयारियॉं की जॉंय तथा पूर्व सतर्कता बरती जाए ताकि कम से कम क्षति हो तथा जान–माल को सुरक्षा प्रदान किया जा सके :–

(क) सर्वसाधारण को प्रचार के माध्यमों द्वारा एवं पंचायतों के माध्यम से सूचित किया जाए कि आँधी, चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि की आशंका होने पर पेड़ों के नीचे तथा कमजोर आधारभूत संरचनाओं के नीचे शरण न लें।

(ख) जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को सकिय किया जाय जिसमें पाली ड्यूटी 24 X 7 पदाधिकारी/कर्मी प्रतिनियुक्त किये जायें।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य अस्पतालों में घायलों को अहर्निश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था रहे तथा प्राथमिक उपचार तथा जीवन रक्षक दवाओं का भंडार पूर्व से ही कर लिया जाय। अस्पतालों में एम्बुलेंस तैयार स्थिति में रहें ताकि घायलों की सूचना प्राप्त होते ही उन तक चिकित्सा सुविधा तीव्र गति से पहुँच सके। ज्ञातव्य हो कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सभी जिलों में एक–एक एम्बुलेंस का क्रय करने हेतु निधि उपलब्ध करायी गयी है तथा एम्बुलेस का क्रय कर उसे जिलों को उपलब्ध कराया गया है। ये एम्बुलेंस जिला पदाधिकारी की देखरेख में आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करेंगे।

(घ) किसी भी आपदा के समय समुदाय एवं पुलिस प्रथम रिस्पांडर होते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि सभी थानों एवं संभावित क्षेत्रों को इस विषय से अवगत कराते हुए सतर्क रहने का निदेश दिया जाय। आपदा आते ही राहत एवं बचाव का कार्य त्वरित गति से करना सुनिश्चित किया जाए।

(ड़) प्रखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष 24 X 7 सक्रिय कर दिया जाय तथा पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का फोन तथा मोवाईल नं0 संधारित किया जाय।

(च) प्रखंड/अंचल स्तर पर राहत एवं बचाव दल गठित कर उन्हें सतर्कता की स्थिति में रखा जाए ताकि आपदा आते ही वे राहत एवं बचाव कार्यों में लग जॉय।

(छ) आँधी/तूफान/ओलावृष्टि आदि आने की स्थिति में अविलंब द्रुततम संचार माध्यम से राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (फैक्स संख्या 0612 2217305/2217786) को सूचना भेजी जाय तथा यथाशीघ्र सर्वेक्षण करा कर विस्तृत क्षति प्रतिवेदन यथा फसल क्षति, गृह क्षति आदि की सूचना एवं राशि

की अधियाचना विभाग को प्रेषित की जाय। दूरभाष/मोवाईल के माध्यम से भी अधोहस्ताक्षरी एवं विभागीय पदाधिकारियों को सूचना भेजी जाए।

(ज) आँधी, चकवाती तूफान, ओलावृष्टि से बचाव हेतु मकानों/झोपड़ियों को अधिक से अधिक आँधी/ चकवाती तूफान/ ओलावृष्टि रोधी बनाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।

(झ) मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को शीघ्रताशीघ्र निर्धारित दर पर अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराते हुए आवंटन की शीघ्र माँग की जाए।

3. यदि राज्य स्तर से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो द्रुततम माध्यम से अधोहस्ताक्षरी से संपर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4599 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 9/10/13

FAX

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव